भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3701

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु विधान

3701. श्री डी. रवि कुमारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों को ''न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय का अधिकार'' प्रदान करने के लिए एक विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की घोषणानुसार हर फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) नही महोदय ।

(ग) 2018-19 के केन्द्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा के स्तर पर रखे जाने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। सरकार ने अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा देने के सिद्धांत के अनुरूप 2019-20 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में हाल ही में वृद्धि की है।

एमएसपी बढ़ाने के अलावा, सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिनमें नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से खरीद करना, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) का कार्यान्वयन, मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को लागू का अधिनियमन तथा कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना शामिल हैं। सरकार एक बाजार संरचना पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इनमें खेत के निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस) की स्थापना करना; ई-एनएएम के माध्यम से एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार तथा एक ठोस एवं कृषक हितैषी निर्यात नीति शामिल हैं।

*****